संख्या- /2021/168/24-1-21-18पी/2020

प्रेषक,

मणीन्द्र शर्मा ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक जनवरी, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-93/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/ आय-व्ययक/2020-21/394 टीसी, दिनांक 18 जनवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-09- विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 1145,88,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ पैंतालिस करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 729,21,32,000/- (रूपये सात सौ उनतीस करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र), लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-09-33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैंपेसिटर बैक्स की स्थापना (के075/रा0 25-रा0)-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-10- पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु पारेषण निगम को अंशपूँजी -30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 891,00,00,000/- (रूपये आठ सौ इक्यानवे करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 566,88,00,000/- (रूपये पॉच सौ छांछठ करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1419- घाटमपुर, कानपुर में मेसर्स निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2000 मेगावाट की तापीय परियोजना की स्थापना-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 249,00,00,000/- (रूपये दो सौ उनचास करोड़ मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन - 190-

http://shasanadesh.up.nic.in

सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1409-ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2×660 मेगावाट की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 1100,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 700,00,00,000/- (रूपये सात सौ करोड़ मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1422-1×660 मेगावाट पनकी तापीय विस्तार परियोजना हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 302,00,00,000/- (रूपये तीन सौ दो करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1410- 2×660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 675,00,00,000/- (रूपये छः सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) में से हो रही बचत धनराशि रूपये 330,00,00,000/- (रूपये तीन सौ तीस करोड़ मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1423-2×500 मेगावाट अनपारा 'द' तापीय विद्युत परियोजना में एफ0जी0डी0 की स्थापना एवं इस हेतु परामर्शी सेवा के लिए अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 25,08,03,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ आठ लाख तीन हजार मात्र) की हो रही सम्पूर्ण बचत धनराशि में से धनराशि रूपये 24,90,68,000/- (रूपये चौंबीस करोड़ नब्बें लाख अड़सठ हजार मात्र), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1426-3×210 मेगावाट अनपारा 'अ' एवं 2×500 मेगावाट 'ब' तापीय परियोजना पर एफ0जी0डी0 की स्थापना एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) में से हो रही सम्पूर्ण बचत धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र), अर्थात तीनों निगमों की कुल बचत हो रही धनराशि रूपये 3000,00,00,000/- (रूपये तीन हजार करोड़ मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण के लिए स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग समान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्कॉम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णत्या पृथक रखा जाय।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

5- प्रस्तर-3 में अंकित व्यवस्था का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2020-21 में वितरण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को अंशपूॅजी के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष डिस्कॉमवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के समस्त वास्तविक वित्तीय एवं भैतिक प्रगति का विवरण अलग-अलग से सभी डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों से प्राप्त कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा और जहॉ पर कार्य कराया गया है, उनके स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

8- इस मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

9- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वितीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पडे हो।

10- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई -10-/दस-2020 दिनांक जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2020/168(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / राज्य योजना आयोग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in